

**भारत सरकार**  
**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**  
**कृषि,सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 2694**  
**15 दिसम्बर, 2015 को उत्तरार्थ**

**विषय: कृषक-क्रेता संगठन**

**2694. श्री दिनेश त्रिवेदी:**

**डॉ. उदित राज:**

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में इस समय सक्रिय कृषक-क्रेता संगठनों की संख्या कितनी है;
- (ख) क्या सरकार की कृषक-क्रेता संगठनों को प्रोत्साहन देने की कोई नीति है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कुंडारीया)**

(क) अब तक लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ से प्राप्त सूचना के अनुसार 381 किसान उत्पादक संघ पंजीकृत हैं जबकि 306 एफपीओ पंजीकरण की प्रक्रिया अधीन हैं।

(ख) से (घ) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ को किसान उत्पादक संघों का गठन करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए अधिदेशित किया गया था। शहरी क्लस्टर हेतु सब्जी पहल और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60 हजार दलहन ग्रामों के समेकित विकास के लिए दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत वर्ष 2011-12 में शुरु की गई पहल को विस्तारित किया गया है और इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और समेकित बागवानी मिशन के तहत राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना के साथ-साथ सामान्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कुछ राज्यों द्वारा शुरु की गई विशेष एफपीओ परियोजनाओं को भी कवर किया गया है।

एफपीओ को उनके पूंजी आधार को सुदृढ़ करने के लिए सहायता करने हेतु एसएफएसी ने 1 जनवरी, 2014 से केंद्रीय क्षेत्र योजना "किसान उत्पादक कंपनियों हेतु इक्विटी अनुदान और ऋण गारंटी कोष योजना" शुरु की है। योजना में निम्नलिखित दो घटक हैं;

(क) इक्विटी ग्रांट योजना: संस्थान द्वारा सृजित की गई सदस्य इक्विटी की बराबरी के लिए प्रत्येक पंजीकृत किसान उत्पादक कंपनी (जो कंपनी अधिनियम के विशेष प्रावधान के तहत पंजीकृत है) को दस लाख सहायता रुपए का अनुदान प्रदान किया जाता है। इससे एफपीसी के इक्विटी आधार में वृद्धि होगी और इससे ये कार्यशील पूंजी सृजित करने के लिए वित्तीय संस्थान तक पहुंच में सक्षम होंगे।

(ख) ऋण गारंटी कोष (सीजीएफ): सीजीएफ बिना रहन के बैंकों द्वारा किसान उत्पादन कंपनियों को एक करोड़ रुपए तक की अधिकतम राशि दी गई ऋण का 85% का कवर प्रदान करता है।

\*\*\*\*\*